"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 19] रायपुर, बुधवार, दिनांक 8 फरवरी 2012—माघ 19, शक 1933

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-3/आठ-परि./2012.—भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एस.ओ. 1080 (ई.), दिनांक 30 नवम्बर, 2000 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम क्रमांक (2) में विनिर्दिष्ट पंजीयन प्राधिकारी को वाहनों के पंजीयन चिन्ह के उपयोग के लिए उसके सम्मुख कॉलम क्रमांक (3) में की गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट कोड नम्बर आवंटित करती है, अर्थात् :—

सारणी

सरल क्रमांक (1)	पंजीयन प्राधिकारी (2)	कोड नंबर (3)
1.	बलौदाबाजार	सी.जी. 22
2.	गरियाबंद	सी.जी. 23
3.	बालोद	सी.जी. 24
4.	बेमेतरा	सी.जी. 25
5.	सुकमा	सी.जी. 26
6.	कोंडागांव	सी.जी. 27
7.	मुंगेली	सी.जी. 28
8.	सूरजपुर	सी.जी. 29
9.	बलरामपुर	सी.जी. 30

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कूजूर, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2012

क्रमांक एफ 5-3/आठ-परि./2012.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 08-02-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कूजूर, उप-सचिव.

Raipur, the 8th February 2012

NOTIFICATION

No. F 5-3/VIII-Tr./2012.—In pursuance of Government of India, Ministry of Road Transport and Highways notification No. S.O. 1080 (E) dated 30th November, 2000, the State Government, hereby, allots to the Registering Authority specified in column No. (2) of the table below, the Code number specified in the corresponding entry in column No. (3) thereof for use in registration mark of the vehicle, namely :—

TABLE

S. No. (1)	Registering Authority (2)	Code Number (3)
1.	Balodabazar	C.G. 22
2.	Gariyaband	C.G. 23
3.	Balod	C.G. 24
4.	Bemetara	C.G. 25
5.	Sukma	C.G. 26
6.	Kondagaon	C.G. 27
7.	Mungeli	C.G. 28
8.	Surajpur	C.G. 29
9.	Balrampur	C.G. 30

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.